

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §  
बुधवार, 18 अक्टूबर, 1995 / आश्विन 26, 1917 §शक§

संख्या. 220

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक:

17. 10. 95 का निम्नलिखित वायरलेस संदेश अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,  
दक्षिणी ज़िला, नई दिल्ली द्वारा 18 अक्टूबर, 1995 को प्राप्त हुआ :-

" मुझे ससम्मान आपको यह सूचित करना है कि "टी"पाइन्ट,  
शहीद जीतसिंह मार्ग, सर्विस रोड, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली  
से दिनांक 17. 10. 95 को अपराहन 1. 15 बजे दिल्ली पुलिस  
अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधिसम्मत  
निर्देशों की अवज्ञा करने पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र  
की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शीश पाल को उनके 414  
अन्य समर्थकों के साथ नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 17. 10. 95 को पुलिस थाना  
हौज खास, नई दिल्ली से अपराहन 2. 00 बजे रिहा कर दिया  
गया । "

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Wednesday, October 18, 1995/Ashvina 26, 1917 (Saka)

No. 220

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 17.10.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Adnl. Deputy Commissioner, of Police, South Distt., New Delhi was received on 18th October, 1995.

"I have the honour to inform you that Shri Shish Pal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith his other 414 supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from 'T' point, Shaheed Jeet Singh Marg service road Institutional Area, New Delhi at 1.15 P.M. on 17.10.1995.

He was released at 2.00 P.M. from Police Station, Hauz Khas, New Delhi, the same day, i.e. 17.10.1995.

P.N. GUPTA  
SECRETARY